

# लेखा योग

14. एफसीआरए बैंक खाता बदलने का तरीका

अप्रैल-मई 2009; संशोधित संस्करण दिसंबर 2009

## इस अंक में

क्या ऐसा मुमकिन है? • प्रक्रिया • बैंक खाते का चुनाव • मौजूदा बैंक खाते का इस्तेमाल पृष्ठ 1

बैंक खाता खोलना • एफसीआरए के लिए खाता निर्धारित करना • आवेदन जमा कराना पृष्ठ 2

अपना आवेदन जमा करें • अब क्या होगा • फार्म के साथ नथी किए जाने वाले दस्तावेज पृष्ठ 3

कई बार ऐसे मौके आते हैं जब एक स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ) को अपना एफसीआरए बैंक खाता बदलना पड़ता है। क्या स्वैच्छिक संगठन ऐसा कर सकते हैं? यदि हां, तो ऐसा करने की क्या प्रक्रिया होती है? लेखायोग के इस अंक में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं।

### क्या ऐसा मुमकिन है?

जी हां। गृह मंत्रालय के नियमों के मुताबिक एफसीआरए बैंक खाता बदला जा सकता है। लेकिन आप खुद-ब-खुद यह खाता नहीं बदल सकते। इसके लिए आपको मंत्रालय से इजाज़त लेनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया में एक से तीन महीने तक लग सकते हैं।

कभी-कभी बैंक भी कंप्यूटरीकरण आदि की वजह से आपको नया नंबर दे सकता है। इसे बैंक खाते में परिवर्तन नहीं माना जाएगा। फिर भी इस बदलाव<sup>1</sup> के बारे में आप मंत्रालय को एक साधारण पत्र लिखकर सूचित ज़रूर कर सकते हैं।

### प्रक्रिया

बैंक खाता बदलने के लिए सबसे पहले आपके पास ठोस और वैध कारण<sup>2</sup> होने चाहिए। हो सकता है आप केवल एक शाखा से दूसरी शाखा में अपना बैंक खाता ले जाना चाहते हों। या संभव हो आप बैंक ही बदलना चाहते हों।

#### 1. बैंक खाते का चुनाव

चाहे जो भी स्थिति हो, नई शाखा या नए बैंक का चुनाव सावधानी<sup>3</sup> से ही करें। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपकी समस्या बनी रहेगी।

#### क. मौजूदा बैंक खाते का इस्तेमाल

कुछ स्थितियों में आपको नया बैंक खाता खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहें तो पहले से मौजूद बैंक खाते का भी इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। आप इस खाते का प्रयोग भारतीय अनुदानों के लिए या अन्य कार्यों के लिए कर रहे हो सकते हैं।

अगर आप मौजूदा बैंक खाते के इस्तेमाल का फैसला लेते हैं तो आप या तो बचे हुए अनुदानों को नये खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं या फिर केवल न्यूनतम बकाया ही उस खाते में छोड़ दें। इसके बाद आप सीधे तीसरे कदम पर जा सकते हैं।



<sup>1</sup> परिवर्तन की सूचना देते हुए बैंक की ओर से भेजे गए पत्र की एक प्रति संलग्न करें।

<sup>2</sup> आप अपना बैंक खाता क्यों बदलना चाहते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं: मसलन, आपका कार्यालय किसी नए जिले में चला गया है, हो सकता है वर्तमान बैंक अच्छी सेवाएं न दे रहा हो, या संभव है बैंक विदेशी मुद्रा के लेनदेन के बारे में पर्याप्त जानकारी न रखता हो। या संभव है आप चालू खाते की जगह बचत खाता खोलना चाहते हों ताकि खाते में पड़े हुए पैसे पर कुछ ब्याज प्राप्त किया जा सके।

<sup>3</sup> इस बात का खयाल रखें कि आप जो सेवाएं चाहते हैं उनके विषय में बैंक की प्रतिष्ठा अच्छी हो, वह आर्थिक रूप से मजबूत हो और उसके पास विदेशी विनिमयों को संभालने का पर्याप्त अनुभव/ नेटवर्क हो। यह जानने के लिए आप लोगों से जानकारी ले सकते हैं या अपने ऑडिटर से भी पूछ सकते हैं। आमतौर पर वे आपको बता देंगे कि आप जो बैंक चुन रहे हैं वह मजबूत है या नहीं। अगर आप किसी निजी बैंक में खाता खोलना चाहते हैं तो और भी सावधान हो जाना चाहिए। कई बार यह बैंक बहुत आकर्षक और क़िफ़ायती दिखाई देते हैं लेकिन कुछ सालों के भीतर ही अपने सेवा शुल्क बढ़ाने लगते हैं। कई बार यह भी होता है कि उनमें से कुछ बैंक आर्थिक रूप से उतने मजबूत न हों जितने राष्ट्रीयकृत बैंक आमतौर से होते हैं।

## 2. बैंक खाता खोलना

बैंक खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले गवर्निंग बॉडी या निदेशक मंडल से प्रस्ताव पारित कराना होगा। आमतौर पर आपका बैंक इस प्रस्ताव का प्रारूप आपको दे देगा। इस प्रारूप के अनुसार प्रस्ताव तैयार करके उसे निदेशक मंडल की बैठक में पारित कराना होता है। अगर बैंक की ओर से आपको उचित प्रारूप नहीं मिलता है तो आप निम्नलिखित प्रारूप का प्रयोग कर सकते हैं : “निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सोसायटी/ ट्रस्ट के नाम पर ..... बैंक, ..... (स्थान) में चालू/बचत खाता खोला जाए।

यह भी फैसला लिया गया है कि संबंधित बैंक सोसायटी/ ट्रस्ट के श्री/ सुश्री ..... (नाम), ..... (पद) द्वारा सोसायटी/ ट्रस्ट की ओर से जारी/ हस्ताक्षरित सभी चेक, विनिमय बिल, प्रोमेसरी नोट्स तथा अन्य सभी लेखपत्रों का समुचित सम्मान करेगा।”

## 3. एफसीआरए के लिए खाता निर्धारित करना

इस संबंध में निम्न प्रकार से प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। “निर्णय लिया गया है कि विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम 1976 के अंतर्गत गृह मंत्रालय से उचित प्राथमिक स्वीकृति के पश्चात् विदेशी अभिदाय बैंक कामकाज ..... (खाता नंबर/ बैंक/ स्थान) में स्थानांतरित कर दिया जाए और ..... (मौजूदा खाता नंबर/ बैंक/ स्थान) में चल रहे विदेशी अभिदाय बैंक कामकाज को समाप्त कर दिया जाए।

यह भी फैसला लिया गया है कि श्री/ सुश्री ....., मुख्य कार्यकारी, को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और आवश्यक कागज़ों, आवेदनों एवं अन्य दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया है।”

कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल नए स्थान पर अपना बैंक खाता ले जाना चाहते हैं जो आपके मुख्य कार्यालय से कई सौ किलोमीटर दूर हो सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित शब्द भी जोड़ दें:

“ये फैसला लिया गया है कि ..... (संगठन) का प्रशासनिक कार्यालय ..... (प्रस्तावित स्थान) पर खोला जाएगा ताकि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुविधा हो।”




**कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल नए स्थान पर अपना बैंक खाता ले जाना चाहते हैं जो आपके मुख्य कार्यालय से कई सौ किलोमीटर दूर हो सकता है।**

## 4. आवेदन जमा कराना

मंत्रालय द्वारा तय प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि निर्धारित बैंक खाते में बदलाव के लिए एक आवेदन-पत्र भरकर जमा कराया जाए। इस आवेदन का प्रारूप आखिरी पन्ने पर दिया गया है।

यह फॉर्म भरना बहुत आसान होता है। इसके कुछ जटिल अंशों पर नीचे चर्चा की गई है।

अनुच्छेद	टिप्पणी
1. डाक पता	चालू/ प्रशासकीय कार्यालय का डाक पता दें। अगर पंजीकृत कार्यालय का पता दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वहां चिट्ठियां प्राप्त करने के लिए कोई न कोई जरूर उपस्थित हो।
2. एफसीआरए पंजीकरण विवरण	पंजीकरण/ अनुमति संख्या और तारीख भरें।
4. कार्यकारी समिति/ निदेशक मंडल का विवरण	निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सभी सदस्यों का ब्योरा दिया जाए। अगर संस्था कोई कंपनी है तो निदेशक मंडल/ संचालन समिति का विवरण दिया जाएगा।
6. क्या संगठन एक संपादक, स्वामी, मुद्रक या प्रकाशक के रूप में काम कर रहा है?	यदि सामान्य प्रसार के लिए न्यूज़लैटर निकाला जा रहा है जिसमें सार्वजनिक सूचनाएं होती हैं तो उसे भी एक ‘समाचार पत्र’ ही माना जाएगा। इस संबंध में और जानकारी के लिए एफसीआरए से संबंधित अकाउंटेबल हैंडबुक के पृष्ठ 66 ( <a href="http://www.AccountAid.net">www.AccountAid.net</a> ) को देखें।
7. (ए) एवं (बी): किसी ऐसे संगठन या ऐसी इकाई से संबंध जिसको अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं मिला है या जिसको विदेशी अभिदाय लेने का निषेध किया गया है।	यह अनुच्छेद संगठनों को बेनामी एफसीआरए पंजीकरण लेने से रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है।
8. (i) बैंक की शाखा का नाम और पता	मौजूदा और नए बैंक (शाखा) का नाम व पता दें जहां एफसीआरए के तहत आन वाली राशि जमा की जाएगी।
8. (ii) बैंक खाता संख्या	मौजूदा और प्रस्तावित बैंक खाता नंबर का उल्लेख करें।
9. परिवर्तन का कारण	आप क्यों बदलाव करना चाहते हैं इसका कारण बताएं।



### 5. अपना आवेदन जमा करें

अब आप अपना आवेदन जमा कराने के लिए तैयार हैं। इस बात का खयाल रखें कि अगले शीर्षक के तहत सूचीबद्ध सभी ज़रूरी दस्तावेज़ आवेदन के साथ ज़रूर नथी कर दिए जाएं। आपको यह आवेदन एफसीआरए संभाग, गृह मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, 26 मानसिंह रोड, नई दिल्ली को पंजीकृत डाक से भेजना होगा।

### 6. अब क्या होगा?

इस आवेदन पर एक से तीन महीने के भीतर कार्रवाई हो जाती है। इस बीच आपको पुराने बैंक खाते का ही इस्तेमाल जारी रखना होगा। आपके आवेदन पर कार्यवाही की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। जब भी इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा तो पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक नई प्रति के साथ मंत्रालय की ओर से आपको इस बारे में सूचना भेज दी जाएगी। इस पत्र में नए बैंक खाते के विवरण दिए गए होंगे। इस पत्र की एक प्रति बैंक को भी भेज दी जाएगी।

यदि कारण वाजिब हों तो आमतौर पर यह इजाज़त आसानी से दे दी जाती है। परंतु कुछ मामलों में आवेदन खारिज भी कर दिया जाता है। ऐसी सूरत में आप एफसीआरए के लिए नए खाते का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

आपको या तो उसे बंद करना होगा या उसे अन्य बैंकिंग कामकाज के लिए इस्तेमाल करना होगा।

### फार्म के साथ नथी किए जाने वाले दस्तावेज़

1. प्रारंभिक एफसीआरए पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति,
2. सोसायटी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित सत्यप्रति,
3. मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एक प्रमाणित सत्यप्रति,
4. एफसीआरए बैंक खाते के स्थानांतरण से संबंधित संचालन समिति/ संचालन परिषद के प्रस्ताव की एक प्रमाणित सत्यप्रति,
5. एफसी-3 रिटर्न (संलग्नकों के साथ) की नवीनतम प्रति,
6. जहां खाता खोला गया है उस नए बैंक से मिला पत्र जिसमें केवल विदेशी अभिदाय के लिए खोले गए बैंक खाते के विवरणों की पुष्टि होगी।

लेखायोग के अन्य संबंधित अंक :

- 42: एफसीआरए पंजीकरण
- 26: फार्म एफसी-8
- 96: एफसीआरए के बारे में

### लेखा योग क्या है:

'लेखा-योग' के प्रत्येक अंक में एनजीओ नियमन या लेखांकन से संबंधित किसी खास मुद्दे को उठाया जाता है और इसे लगभग 1500 गैर-सरकारी संगठनों, एजेंसियों और ऑडिट कंपनियों को भेजा जाता है। अगर कार्यशालाओं या एनजीओ न्यूजलैटर्स में गैर-व्यावसायिक कामों के लिए 'लेखा-योग' का पुनर्प्रकाशन या वितरण किया जाता है तो अकाउंटएड को कोई एतराज नहीं है बशर्ते आप इस बात का उल्लेख कर दें कि आपने यह सामग्री 'लेखा-योग' से ली है।

### अंग्रेजी में लेखा-योग:

लेखा-योग अंग्रेजी में 'अकाउंटबल' के नाम से उपलब्ध है।

### कानून की व्याख्या:

यहां कानून की जो व्याख्या दी गई है वह काफी मोटे स्तर पर है। कोई भी अहम फैसला लेने से पहले अपने सलाहकारों से बात ज़रूर करें।

### इंटरनेट पर लेखा-योग:

'लेखा-योग' के कुछ चुने हुए अंक हमारी वेबसाइट - [www.AccountAid.net](http://www.AccountAid.net) पर उपलब्ध हैं।

### ई-मेल द्वारा लेखा-योग:

लेखायोग के नए अंक अब ई-मेल द्वारा मुफ्त में प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट - [www.AccountAid.net](http://www.AccountAid.net) पर जाकर 'Lekha Yog by E-mail' को क्लिक कर अपना विवरण भरें।

### अकाउंटएड कैप्सूल:

इसमें एनजीओ लेखांकन और इससे जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इसे प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट - [www.AccountAid.net](http://www.AccountAid.net) पर जाकर 'AccountAid Capsule' को क्लिक कर अपना विवरण भरें।

### सवाल और स्पष्टीकरण?

अकाउंटएड एनजीओ लेखांकन या वित्तीय नियमन से जुड़े सवालों पर गैर-सरकारी संगठनों और उनके ऑडिटर्स को सलाह देता है। आप भी अपने सवाल ई-मेल या खत के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो फोन पर भी हमसे बात कर सकते हैं।

### टिप्पणियां:

आप अपनी टिप्पणियां और सुझाव अकाउंटएड इंडिया, 55 वी, पॉकेट सी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 पर भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-26343128; फोन/फैक्स : 011-26343852; ई-मेल: [info@accountaid.net](mailto:info@accountaid.net)

© अकाउंटएड इंडिया विक्रम संवत् 2067 चैत्र, ईस्वी सन् मार्च 2010.

श्रीमती चारु मलहोत्रा द्वारा अकाउंटएड इंडिया, नई दिल्ली (फोन 26343128) के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित तथा प्रिंटवर्क्स, एफ-25, ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली से मुद्रित।

लेख: श्री संजय अग्रवाल; अनुवाद: श्री योगेन्द्र दत्त

सम्पादन: कु. सुदिप्ता साहा

डिज़ाइन: श्रीमती मोऊशुमी डे

केवल निजी प्रसार के लिए।

## बैंक खाता बदलने के लिए आवेदन पत्र

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत/स्वीकृत संस्था के निर्धारित बैंक खाते में बदलाव के लिए आवेदन पत्र)

### निर्देश

1. सारे विवरण सावधानीपूर्वक और सही-सही भरें।
2. उन कॉलमों को काट दें जो प्रासंगिक नहीं हैं।
3. संचालन समिति के उस प्रस्ताव की प्रति भी साथ लगाएं जिसमें बैंक खाते में प्रस्तावित बदलावों का फैसला लिया गया है।

संख्या .....

तारीख .....

प्रति,

**सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार**

जैसलमेर हाउस, 26 मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत/स्वीकृत संस्था के निर्धारित बैंक खाते में बदलाव के लिए आवेदन

महोदय,

मैं ..... निम्नांकित संस्था, की ओर से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 अंतर्गत पंजीकृत/स्वीकृत संस्था के निर्धारित बैंक खाते में बदलाव के लिए आवेदन दे रहा/दे रही हूँ।

1. संस्था का नाम और उसका पूरा डाक पता :

नाम : .....

पता : .....

कस्बा/ शहर : .....

जिला : .....

राज्य : .....

पिन कोड : .....

फोन/ फैक्स नंबर : .....

ई-मेल : .....

2. एफसीआरए पंजीकरण संख्या/ पूर्व अनुमति पत्र संख्या ..... तारीख .....(पंजीकृत/ पूर्व अनुमति पत्र की प्रति संलग्न की जाए)

3. संस्था का स्वरूप : (क) धार्मिक (ख) सांस्कृतिक (ग) आर्थिक (घ) शैक्षिक (च) सामाजिक

नोट : क्या यह धार्मिक संस्था है? यदि हां तो बताएं -

(क) हिंदू (ख) सिख (ग) मुस्लिम (घ) ईसाई (च) बौद्ध (छ) अन्य

4. कार्यकारी समिति/संचालन परिषद आदि के सदस्यों के नाम व पते जिनमें मुख्य कार्यकारी का भी विवरण होगा। यह विवरण इस क्रम में दें।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	राष्ट्रीयता	व्यवसाय	संगठन में प्राप्त पद	पदाधिकारियों के साथ कोई संबंध	पता
1	2	3	4	5	6	7	8

5. पिछले तीन वार्षिक एफसी-3 रिटर्न्स जमा कराने की तारीख बताएं।

वर्ष

तारीख

1.	
2.	
3.	

6. कृपया बताएं कि क्या यह संस्था किसी ऐसे प्रकाशन के संपादक/स्वामी/मुद्रक या प्रकाशक के रूप में काम कर रही है जिसे प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अंतर्गत "समाचार पत्र" के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

यदि ऐसा है तो इस बारे में विवरण दें... ..

7. कृपया बताएं कि क्या इस संस्था का किसी ऐसी दूसरी संस्था या उसकी इकाई अथवा शाखा से भी कोई संबंध है जिसको

(क) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण नहीं दिया गया था:

(ख) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से रोक दिया गया था:

8. कृपया बताएं -

मौजूदा

प्रस्तावित

(i) उस बैंक और शाखा का नाम व पता जिसके माध्यम से विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाएगा।

(ii) बैंक की संबंधित शाखा में खाता नंबर

9. प्रस्तावित परिवर्तन का कारण

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

(मुख्य कार्यकारी या अधिकृत पदाधिकारी का नाम और संस्था की मोहर)

घोषणा और हलफनामा

मैं पुष्टि करता/ करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं सही हैं।

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख :

(मुख्य कार्यकारी या अधिकृत पदाधिकारी का नाम और संस्था की मोहर)